समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

पत्र संख्या–15 / डी0एल0ए0 गोपालगंज (रेल)– 12 / 08 -1639/रा॰पटना, दिनांक- 21-06-13

संख्या– आर0 ~~दिनांक–~~

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–योगीपुर थाना नम्बर– 609, थाना –मीरगंज, परगना–कुआड़ी जिला–गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हथुआ–भटनी नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–योगीपुर, थाना नम्बर– 609 के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमो–बेश 06.96 एकड़ के बराबर होता है

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:–

16 अंश, 61 अंश, 62 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 111 अंश, 110 अंश, 109 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 106 अंश, 107 अंश, 102 अंश, 101 अंश, 38 अंश, 40 अंश, 41 अंश, 42 अंश, 80 अंश, 79 अंश, 78 अंश, 77 अंश, 50 अंश, 57 अंश, 58 अंश, 59 अंश, 60 अंश, 60/698 अंश, ।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है:–

उत्तर :– सीवान नटवा थाना नं0 421

दक्षिण:– सीवान डेरवां थाना नं0 612

पूरब :– खेसरा 16 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 110 अंश, 109 अंश, 102 अंश, 101 अंश, 41 अंश, 42 अंश, 80 अंश, 79 अंश, 77 अंश, 58 अंश, 60 अंश, 60/698 अंश, 62 अंश, 328 अंश, ।

पश्चिम :– खेसरा 15 अंश, 16 अंश, 112 अंश, 111 अंश, 110 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 102 अंश, 40 अंश, 38 अंश, 42 अंश, 41 अंश, 78 अंश, 79 अंश, 50 अंश, 57 अंश, 59 अंश, 61 अंश, 62 अंश, 328 अंश, ।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम –1894 यथा संशोधित–1984 की धारा–4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 1। सन 1961 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाले भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता, गोपालगंज, भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे मुख्य कार्यपालक अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

चूँकि यह भू–अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू–अर्जन अधिनियम –1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–ए इस मामले में लागू नहीं होगी।

समाहर्त्ता,
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर/~~उप~~ सचिव

ज्ञाप सं0 – 15/डी0एल0ए0 गोपालगंज (रेल)– 12/08-1639/रा0 पटना, दिनांक– 21-06-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, गोपालगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोपालगंज को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता, /जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।